<u>महाविद्यालय विकास परिषद की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त</u>

<u>दिनांक 30 मई 2014, सुबह 11:00 बजे</u>

महाविद्यालय विकास परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 30 मई 2014 को सुबह 11:00 बजे कुलपति के कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे :

1. प्रो. टी.बी.सुब्बा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
3. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
4. डॉ. धनीराज छेत्री, डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
5. डॉ. एम.पी.खरेल, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
6. डॉ. लिली एली, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक सरकारी महविद्यालय	-	सदस्य
7. डॉ. पी.के. मिश्रा, प्राचार्य, डंबर सिंह महविद्यालय	-	सदस्य
8. फादर डॉ. डेनियल बारा, एसजे, प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महविद्यालय, नामची	-	सदस्य
9. श्री टी.के. कौल, कुलसचिव	-	सचिव

श्री महेंद्र प्रधान बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे अब सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग के प्राचार्य नहीं रहें।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने महाविद्यालय विकास परिषद की प्रथम बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया और सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार पहली महाविद्यालय विकास परिषद का गठन किया गया है। इसके बाद एजेंडा में उल्लेखित मुद्दों पर चर्चा की गई।

खंड 1
रिपोर्टिंग विषय

सीडीसी.1.1.1: यद्यपि इस खंड के अंतर्गत कोई औपचारिक एजेंडा नहीं था**,** फिर भी कुलपति ने परिषद को सूचित किया कि भारत सरकार स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए 10**,**000 (दस हजार) प्रथम डिग्री छात्रवृति प्रदान कर रही है। कला और सामाजिक विज्ञान शाखा के लिए प्रति माह रु. 3,500/- और विज्ञान और व्यावसायिक अध्ययन शाखा के लिए

प्रति माह रु. 5,000/- की छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने परिषद में मौजूद महाविद्यालयों के प्राचार्यों से छात्रों के बीच इस संदर्भ में व्यापक प्रचार करने के लिए कहा ताकि वे यूजीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का उपयोग कर सकें।

कुलपति ने आगे परिषद को सूचित किया कि महाविद्यालय विकास परिषद के कार्यों में से एक महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अंतर्गत प्रवेश कराना है। चूंकि, इससे पहले कोई महाविद्यालय विकास परिषद अस्तित्व में नहीं था, इसलिए इस मामले को शैक्षणिक परिषद ने एक संबद्धता समिति के माध्यम से उठाया था। चूंकि परिषद अभी गठन हुई है, इसलिए यह संबद्धता समिति को प्रतिस्थापित कर सकती है और महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से स्वीकार करने से संबंधित मामले की सिफारिश शैक्षणिक परिषद से कर सकती है।

खंड 2

अनुसमर्थन हेतु विषय

अनुसमर्थन के लिए कोई विषय नहीं था।

खंड 3

विचारार्थ एवं सिफ़ारिश हेतु विषय

सीडीसी.1.3.1: स्नातक शिक्षा नीति की समीक्षा

कुलपति ने दिनांक 28 फरवरी 2014 को अधिसूचना सं -12/2014 द्वारा स्नातक शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। समिति को कई मुद्दों पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। समिति ने अप्रैल 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सिफ़ारिश करने के संकल्प लेते हुए अनुमोदन के लिए शैक्षणिक परिषद को प्रस्तुत किया।

1. ***कक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए सतत और लचीले ंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया***
   - तीन के स्थान पर दो सत्रीय परीक्षा
   - प्रथम सत्रीय परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, जबकि द्वितीय सत्रीय परीक्षा लिखित परीक्षा अथवा अन्य कार्य जैसे टर्म पेपर, किताब की समीक्षा, समूह चर्चा, लिखित परीक्षा आदि, जैसे पाठ्यक्रम के शिक्षक उचित समझे।
   - व्यावहारिक घटक वाले विषय/प्रश्नपत्र के लिए द्वितीय सत्रीय परीक्षा में व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
   - दोनों सत्रीय परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन के लिए अनिवार्य होंगी।
   - पारंपरिक पाठ्यक्रम में 50/50 आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होगा जिनमें से प्रत्येक सत्रीय परीक्षा/व्यावहारिक परीक्षा 25 अंक के लिए होगी। अंतिम परीक्षा 50 अंकों के लिए होगी।

- सत्रांत परीक्षा मेन प्रत्येक पेपर/विषय में नून्यतम अर्हक अंक 30% होंगे।

- अंतिम परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम विवरणिका से प्रश्न पुछे जाने चाहिए।

2. ***टर्म पेपर अब के जैसे ही अनिवार्य है और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के रूप में है***
   - परिषद ने मूल्यांकन की प्रक्रिया में से एक के रूप में टर्म पेपर को बनाए रखने के लिए की गई समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए संकाय सदस्यों की वरिष्ठता पर ध्यान दिया जाएँ और मॉडरेशन बोर्ड यह देखें कि पेपर के सभी इकाइयों से प्रश्न निर्धारित किए गए हैं।

3. ***केवल ऑनर्स के के लिए यह प्रावधान है कि अगर कोई छात्र दो अथवा दो से कम पेपरों में अनुत्तीर्ण होता है अथवा 45% प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है किन्तु कुल मिलकर 35% अंक से अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे "उत्तीर्ण" प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, परंतु पाठ्यक्रम केवल ऑनर्स के लिए होगा और एक जैसे पाठ्यक्रम के लिए सभी स्नातक छात्रों के लिए होगा अथवा पास और ऑनर्स दोनों के लिए होगा?***
   - हम वर्तमान प्रणाली को जारी रखें। हालांकि, प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बुनियादी संरचना की उपलब्धता के अनुरूप सीमित रखी जाएँ।

4. ***एम ईएल 100 अंक या दो सौ अंक के लिए? ऑनर्स पाठ्यक्रम से एम ईएल के रूप में किसी एक/दो परिचयात्मक पेपर? बीए, बीएससी और बी.कॉम दि के लिए एक समान अंक?***
   - परिषद ने मामले को यथास्थिति रखने के लिए सिफ़ारिश की है।

5. ***सभी यूजी छात्रों के लिए अनिवार्य पेपर के रूप में "पूर्वी हिमालय" की प्रासंगिकता***
   - परिषद ने छात्रों के लिए पूर्वी हिमालय अध्ययन को अन्य विकल्प जैसे लोक प्रशासन, मानव अधिकारी/लिंग अध्ययन आदि के साथ-साथ एक विकल्प के रूप में जारी रखने के लिए समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया।

6. ***स्नातक और स्नातकोतर पाठ्यक्रम में बेहतर संयोजन के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के केवल जी स्तर पर पढ़ाये जाने के लिए मानवशास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग, प्रबंधन, मनोविज्ञान, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विषयों का प्रारम्भ***
   - परिषद ने नए विषयों जैसे मानवशास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग, प्रबंधन, मनोविज्ञान, हिंदी और शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन को शामिल करने के लिए समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया। परिषद ने यह भी सिफ़ारिश की कि महाविद्यालय भी जब कभी बुनियादी संरचना और संकायों की आवश्यकता के अनुसार तैयार होंगे, इन पाठ्यक्रमों को शुरू करें।

7. ***विद्यालय और महविद्यालय के बेहतर पाठ्यक्रम के लिए सीबीएसई द्वारा शुरू किए गए नए विषयों जैसे मानव अधिकारी और लिंग अध्ययन, रंगमंच अध्ययन, एनसीसी, विरासत शिल्प, ग्राफिक डिजाइन, रचनात्मक लेखन और अनुवाद अध्ययन, कार्यात्मक अंग्रेजी, उद्यमिता, फैशन अध्ययन दि विषयों को प्रारम्भ करने पर विचार***

   - समिति ने स्नातक पाठ्यक्रम में, जब कभी महाविद्यालय तैयार हो, इन विषयों को शामिल करने के लिए समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया है।

8. ***दिल्ली विश्वविद्यालय और ई ईटी खड़गपुर के जैसे 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए विचार***

   - परिषद ने मामले को यथास्थिति रखने के लिए समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया। .

9. ***सिक्किम में स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार हेतु अन्य कोई सुझाव***

   - स्नातक स्तर पर वोकेशनल शिक्षा स्नातक की शुरुआत। इसे व्यावहारिक अध्ययन के उपरांत का स्नातक लिया जा सकता है।

सीडीसी.1.3.2: सिक्किम विश्वविद्यालय और सिक्किम सरकारी विधि महविद्यालय, बुर्तुक में बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम में एकरूपता

कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक को महविद्यालय के प्राचार्यों और विश्वविद्यालय विभागों के साथ मिलकर सिक्किम विश्वविद्यालय और सरकारी विधि महाविद्यालय, बुर्तुक के बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम विवरणिका और परीक्षा पैटर्न में गैर-एकरूपता के मामले को देखने के लिए कहा था। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद परिषद ने इस वर्ष के लिए यथास्थिति बनाए रखने का संकल्प लिया। हालांकि, 2015 में कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लिए एक एकीकृत कैलेंडर होना चाहिए ताकि विश्वविद्यालय में विधि की कक्षाएं बर्टुक विधि महविद्यालय के साथ एक साथ शुरू हो सकें। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के उत्तरपुस्तिकाओं दोनों के लिए प्रश्नपत्रों का सामान्य सेट और पेपर का सामान्य मूल्यांकन भी होना चाहिए।

सीडीसी.1.3.3: विश्वविद्यालय के विद्यापीठ बोर्ड में बी.एड महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले कृविधि पेपरों को शामिल करना

वर्तमान सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत तीन सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी.एड पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। सम्बद्ध महाविद्यालय निम्नलिखित हैं :

- लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची
- सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग
- हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, गंगटोक

बी.एड पाठ्यक्रम में अनिवार्य और क्रियाविधि पेपर होते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय में 5-7 मेथड पेपर पढ़ाये जा रहे हैं। आज तक इन विधि पत्रों को विश्वविद्यालय के विद्यापीठ बोर्डों के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद शैक्षणिक परिषद को सिफ़ारिश करने के लिए संकल्प लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के संबन्धित विद्यापीठ बोर्ड के अंतर्गत निम्नानुसार मेथड पेपर को लाया जाएँ।

1.	जीवन विज्ञान विद्यापीठ	- जीवविज्ञान
2.	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	- अंग्रेजी, नेपाली
3.	मानव विज्ञान विद्यापीठ	- भूगोल
4.	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	- इतिहास, अर्थशास्त्र
5.	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	- भौतिकी, रसायनिकी, गणित

सीडीसी.1.3.4: पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की वश्यकता

दिनांक 15 मई 2013 को हुई संबद्धता समिति की पहली बैठक में कुलपति ने सूचित किया कि किसी कोर्स के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या यूजीसी द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। केवल यह उल्लेख है कि विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार शिक्षक की आवश्यकता होगी। संबद्धता समिति ने विज्ञान विषय के लिए पांच शिक्षकों और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए चार शिक्षकों की सिफारिश की।

परिषद ने चर्चा के बाद प्रयोगशाला आधारित विषय के लिए पांच शिक्षकों और गैर-प्रयोगशाला आधारित विषय के लिए चार शिक्षकों की सिफारिश की।

अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

हस्ता/-
(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष